रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102024-257807 CG-DL-E-10102024-257807

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 786] No. 786] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 9, 2024/आश्विन 17, 1946 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2024/ASVINA 17, 1946

क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2024

फा. सं. बी/आरआर/2023-रिम्स:(1).—क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल, मणिपुर की विधिसंहिता के नियम 3(ii) के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुपालन में तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र सं. U-12015/57/2022-NE-part (10) दिनांक 07-08-2023, से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल सोसाइटी की कार्य परिषद के अध्यक्ष एतदद्वारा क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल के निमित, सहायक आहार विशेषज्ञ की नियुक्ति संबंधित अधोलिखित नियमों-प्रविधियों को निर्मित करते हैं।

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ –
- (i) इन नियमों को सहायक आहार विशेषज्ञ (समूह 'बी' पद)क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल नियुक्ति नियम 2023 कहा जाएगा।
- (ii) ये नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशन के उपरांत लागू माने जाएंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर प्रविधि अथवा नियुक्ति इत्यादि उपर्युक्त पदों के संदर्भ में वर्गीकरण, पे- मैट्रिक्स में वेतन स्तर, नियुक्ति की प्रविधि तथा इससे संबंधित अन्य संलग्न अनुसूचित (2) से (4) कॉलम में वर्णित के अनुसार होंगे।
- 3. नियुक्ति प्रविधि, आयु सीमा, योग्यता आदि- उपर्युक्त पद से संबंधित नियुक्ति प्रविधि, आयु सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

6520 GI/2024 (1)

- 4. अनर्हता :कोई भी व्यक्ति -
 - (क) जिसने एक जीवित पति/ पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह किया हो अथवा
 - (ख) जिसने एक जीवित पति/पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह किया हो,वह उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होगा।

बशर्ते की केंद्रीय सरकार, इस बात से आश्वस्त हो कि उपर्युक्त विवाह उस व्यक्ति तथा दूसरी पार्टी पर लागू होने वाले वैयक्तिक नियम के अनुसार अनुमन्य हो तथा ऐसा करने के पीछे अन्य दूसरे भी आधार हो जिसके आधार पर उस व्यक्ति को उपर्युक्त नियम से मुक्त किया जा सके।

- 5. <u>छूट की शक्ति</u> : जहाँ केंद्रीय सरकार, इस राय में हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा त्वरित है वे लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए उपर्युक्त नियम में निहित किन्हीं प्राविधानों को किसी वर्ग अथवा कोटि या पद के संदर्भ में शिथिल कर सकते हैं।
- 6. संरक्षात्मक उपबंध :इन नियमों के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा भूतपूर्व सेवारत तथा विशिष्ट कोटि के व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार आरक्षण, आयुसीमा में छूट तथा अन्य छूट प्रदान किए गए होंगे।

अनुसूची

1	पद का नाम	सहायक आहार विशेषज्ञ
2	पदों की संख्या	1*(2023)
		* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	समूह 'बी'
4	वेतनमान	पे-मैट्रिक्स स्तर-6
5	चयन पद अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार से प्राप्त निर्देशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष के लिए शिथिलनीय)
7	सीधी नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अन्य योग्यताएं	अनिवार्य: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य एवं पोषण में विज्ञान निष्णात/ गृह विज्ञान/ नैदानिक पोषण और आहारिकी विज्ञान निष्णात/ खाद्य सेवा प्रबंधन और आहारिकी विज्ञान निष्णात
		या
		मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य एवं विज्ञान स्नातक/ गृह विज्ञान/ नैदानिक पोषण और आहारिकी विज्ञान निष्णात/ आहारिकी में पीजी. डिप्लोमा के साथ खाद्य सेवा प्रबंधन और आहारिकी विज्ञान निष्णात
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष

10	नियुक्ति की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति में स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न प्रविधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	सीधी नियुक्ति द्वारा
11	प्रोन्नति/ स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति ग्रेड के मामले में किससे प्रोन्नति स्थानांतरण माना जाए	लागू नहीं
12	यदि विभागीयप्रोन्नति समिति/ चयन समिति गठित है तो उसका संगठन	सीधी नियुक्ति : 1. निदेशक, रिम्स, इंफाल- अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में रिम्स, इंफाल संबंधी मामलों की देखभाल करने वाले निदेशक/ उप सचिव - सदस्य 3. कार्य परिषद के एक सदस्य, रिम्स, सोसाइटी, इंफाल अथवा उनके नामिती जोकि उप सचिव/ संयुक्त निदेशक (चक्रानुक्रम से) स्तर से नीचे न हों - सदस्य 4. चिकित्सा अधीक्षक, रिम्स, चिकित्सालय, इंफाल - सदस्य 5. विषय से संबंधित कोई एक विशेषज्ञ - सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), रिम्स, इंफाल - सदस्य सचिव
13	नियुक्ति निर्मित में किन परिस्थितियों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श।	लागू नहीं

अध्यक्ष के आदेश तथा उनके नाम पर, प्रो. गुरुअरिबम सुनील कुमार शर्मा, निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./555/2024-25]

REGIONAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, IMPHAL NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2024

- **F. No. B/RR/2023-RIMS:(1).**—In exercise of the powers conferred under Rule 3(ii) of the Bye-Laws of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, Manipur and in pursuance of the approval of the Ministry of Health & Family Welfare conveyed vide letter No. U-12015/57/2022-NE-Part (10) dated 07-08-2023, the Chairman, Executive Council, Society of Regional Institute of Medical Sciences, Imphal hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Dietician in Regional Institute of Medical Sciences, Imphal.
- 1. Short title and commencement.-
- (i) These rules may be called the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, Assistant Dietician (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2023.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in pay matrix- The number of the said post, its classification and level in pay matrix, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

- 3. Method of recruitment, age Limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.- No Person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. where the central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	Name of post	Assistant Dietician
2	Number of post	1* (2023)
		*Subject to variation dependent on workload
3	Classification	Group 'B'
4	Level in the Pay Matrix	Level – 6 of Pay Matrix
5	Whether Selection post or non- selection post	Not Applicable
6	Age limit for direct recruits	Not exceeding 30 years (Relaxable for Governments servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential:
		M.Sc. in Food & Nutrition/Home Science/ M.Sc. Clinical Nutrition & Dietetics/ M.Sc. Food Service Management & Dietetics from a recognized University
		& Dietetics/ M.Sc Food Service Management & Dietetics with PG Diploma in dietetics from a recognized University
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Not Applicable
9	Period of probation, if any	Two years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Direct Recruitment
11	In case of promotion by recruitment by promotion/deputation/ absorption to be made	Not applicable

12	If a Departmental Promotion	Direct Recruitment			
	Committee/ Selection Committee exists what is its composition	1. Director, RIMS, Imphal – Chairman			
		2. Director/Deputy Secretary looking after the affairs of RIMS, Imphal in the MoHFW, Govt of India – Member			
		3. One member of the Executive Council, Society of RIMS, Imphal or a nominee of the beneficiary states not below the rank of Deputy Secretary/ Joint Director (by rotation) – Member			
		4. Medical Superintendent, RIMS Hospital, Imphal - Member			
		5. One expert in the subject concerned— Member			
		6. Deputy Director (Admn), RIMS, Imphal – Member Secretary			
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable			

By Orders and in Name of Chairman, Prof. GURUARIBAM SUNIL KUMAR SHARMA, Director [ADVT.-III/4/Exty./555/2024-25]